1	2	3
5(b)	Manufacturing, processing servicing and repairs other than household industry	21,867,458
6	Constructions	5,543,205
7	Trade & Commerce	21,296,337
8	Transport, Storage and Communication	8,017,746
9	Other services;	29,311,622

SOURCE:- Census of India 1991-Union Primary Census absfract-1991. issued by the office of the Registrar General Census Commissioner, India.

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में प्रक्रियाएं

6335. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत अनुसूची में क्या-क्या प्रक्रियाएं शामिल हैं ; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक प्रक्रिया के अंतर्गत कितने बालक श्रमिकों की पहचान की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अन्तर्गत दी गयी अनुसूची में उन व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं की सूची विवरण में दी गई है जिनमें बाल श्रम प्रतिषेद्ध है **(नीचे देखिए)**

(ख) प्रमाणिक अनुमान दसवर्षीय जनगणना के माध्यम से तैयार किए जाते हैं । प्रत्येक व्यवसाय तथा प्रक्रिया में बाल श्रमिकों की संख्या 1981 की जन - गणना के द्वारा उपलब्ध नहीं है । 1991 की जनगणना के आंकड़े अभी प्रकाशित किये जाने हैं ।

विवरण

भाग—क

व्यवसाय :

निम्नलिखित से संबद्ध कोई व्यवसाय—

(1) यात्री, माल अथवा रेलवे द्वारा डाक परिवहन ;

(2) सिंडर उठाना, राख के गड्ढे की सफाई अथवा रेल परिसरों में भवन निर्माण ;

(3) रेलवे स्टेशन पर खान-पान प्रतिष्ठान में कार्य इसमें वैंडरों अथवा प्रतिष्ठान के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म अथवा चलती रेल गाड़ी में अथवा बाहर की गति विधि शामिल है ;

(4) रेलवे स्टेशन का निर्माण से संबंधित कार्य अथवा कोई अन्य कार्य जहां ऐसा कार्य रेलवे लाईन के अत्यधिक समीप अथवा रेलवे लाइनों के बीच किया जाता है ;

(5) किसी पत्तन को सीमाओं के भीतर पत्तन प्रशिक्करण ;

(6) अस्थायी लाइसेंसों वाली दुकानों में पटाखों तथा आतिशबाजी की बिक्री से संबंधित कार्य ।

(7) बूचड़ खाने/पशुवध गृह ।

भाग-ख

प्रक्रियाएं :

(1) बीड़ी बनाना

(2) कालीन बुनाई

(3) सीमेन्ट विनिर्माण, सीमेन्ट को बोरी में भरने सहित ।

(4) कपड़ा छपाई, रंगाई तथा बुनाई ।

(5) माचिस विनिर्माण, विस्फोटक तथा आतिश-बाजी

(6) अभ्रक कटाई तथा विखण्डन

(7) शैलैक विनिर्माण

(8) साबुन विनिर्माण

(9) चमड़ा शोधन

(10) ऊन की सफाई

(11) भवन निर्माण तथा विनिर्माण उद्योग

(12) स्लेट पेन्सिल विनिर्माण (पैकिंग सहित)

(13) गोमेद से उत्पाद विनिर्माण

(14) विषैली धातुओं तथा सीसा, पारा, मैंगनीज, क्रोमियम, कैडेमियम, बैंजिन, कीटनाशक तथा एसबेस्टास जैसे पदार्थों के प्रयोग से विनिर्माण प्रक्रियाएं ।

(15) "जोखिमकारी प्रक्रियाए" जैसा कि धारा 2 (ग ख) में परिभाषित किया गया है और "खतरनाक कार्य" जैसा कि कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 87 के अन्तर्गत बने नियमों में अधिसूचित किया गया है ;

(16) छपाई जैसा कि कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63) की धारा 2(ट)(iv) में परिभाषित किया गया है ।

(17) काजू तथा केशनट की छिलाई करना तथा तैयार करना

(18) इलेक्ट्रोनिक उद्योगों में सोल्डरिंग कार्य ।

नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में राशि जमा न कराया जाना

6336. **श्री जनार्दन यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 में कर्मचारी भविष्य निधि अथवा वैसी ही अन्य योजनाओं के अंतर्गत नियोक्ताओं द्वारा किसी राशि जमा नहीं कराई गई है ;

(ख) कुल कितनी धनराशि जमा नहीं कराई गई है तथा इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य में सर्वाधिक चूक करने वाले दस उद्योगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार बंगाल जैसे अन्य राज्यों में भी इस तरह से चूक करने वाले उद्योगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का विचार रखती है ताकि कामगारों को उनका अधिकार मिल सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Enforcement of labour laws for labours engaged in gem polishing in Jaipur

6337. SHRIMATI KAMJLA SINHA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the gem polishing industry, which is the largest single employer in Jaipur, is not covered by labour laws;

(b) if so, whether more than 20 per cent of the workers engaged in this in-